राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

—: आवश्यक सूचना :—

(विज्ञापन संख्या—04/2021)

विज्ञापन संख्या—04/2021 के तहत जिला संवर्गीय **Lab Technician** के 222 पदों पर चयन हेतु दिनांक 08.02.2021 से 01.03.2021 तक अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गये तथा दिनांक 24.10.2021 को अभ्यर्थियों का ऑनलाईन Computer Based Test (CBT) लिया गया। उक्त CBT में qualified अभ्यर्थियों के प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट के अनुसार कुल विज्ञापित पदों के विरूद्ध 1:2.5 के अनुपात में Shortlisted अभ्यर्थियों का Document Verification/Counselling किया जाना है। उक्त Shortlisted अभ्यर्थियों की सूची को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के वेबसाईट—shs.bihar.gov.in पर अपलोड/प्रकाशित किया गया है। **सभी Shortlisted अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण—पत्रों के सत्यापनोपरांत रिक्ति के अनुसार योग्य एवं सफल अभ्यर्थियों की अंतिम रूप से चयन सूची का प्रकाशन किया जाएगा।**

2. Shortlisted अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण—पत्रों का Document Verification/Counselling, **राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW), शेखपुरा, पटना—14** में निम्नलिखित तिथि/समय के अनुसार निर्धारित किया गया है:—

तिथि	समय	Sl. No. (प्रकाशित सूची के अनुसार)	अभ्यर्थियों की संख्या
18.01.2023 (बुधवार)	10:00 AM-01:00 PM	001 – 097	97
	02:00 PM-05:00 PM	098 – 194	97
19.01.2023 (गुरुवार)	10:00 AM-01:00 PM	195 – 291	97
	02:00 PM-05:00 PM	292 – 388	97
20.01.2023 (शुक्रवार)	10:00 AM-01:00 PM	389 – 485	97
	02:00 PM-05:00 PM	486 – 584	99

- पहले चरण (Morning) में आनेवाले अभ्यर्थियों का **Registration Time 10:00 AM** एवं दूसरे चरण (Afternoon) में आने वाले अभ्यर्थियों का **Registration Time 01:30 PM** निर्धारित किया गया है।
- उक्त निर्धारित तिथि को Counselling में यदि कोई अभ्यर्थी अनुपस्थित पाए जाते हैं, तो प्रमाण—पत्र सत्यापन/काउन्सलिंग में अनुपस्थिति के लिए वे स्वयं जिम्मेवार होंगे।

3. Shortlisted अभ्यर्थी सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को ससमय नियत स्थान पर निम्नांकित प्रमाण—पत्रों की मूल प्रति एवं उसका एक स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रतियों के साथ अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित होंगे:—

(i) CBT परीक्षा का प्रवेश—पत्र **(Admit Card)**

(ii) दो (02) रंगीन पासपोर्ट साईज फोटो।

(iii) जन्म तिथि के साक्ष्य हेतु मैट्रिक उत्तीर्णता का प्रमाण—पत्र/अंक—पत्र।

(iv) **Essential Qualification** से संबंधित डिग्री एवं अंक प्रमाण—पत्र:—

Lab Technician	**<u>Essential Qualification</u>** ▪ 10+2 (Biology) / I.Sc. (Biology) with Diploma in Medical Laboratory Technician (DMLT) from any recognized University/ Institution **OR** ▪ 10+2 (Biology) / I.Sc. (Biology) with Bachelors in Medical Laboratory Technician (BMLT) from any recognized University/ Institution.

(v) फोटोयुक्त पहचान—पत्र, यथा—Voter ID, AADHAR, PAN Card, Driving Licence इत्यादि।

(vi) आरक्षण का दावा करने संबंधित प्रमाण—पत्र। सक्षम प्राधिकार से निर्गत जाति प्रमाण—पत्र तथा क्रिमीलेयर रहित प्रमाण—पत्र **(पिता के नाम एवं पता से निर्गत)**।

(vii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण—पत्र (अगर लागू हो)।

(viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र (अगर लागू हो)।

(ix) अन्य कोई प्रमाण–पत्र जो लागू हो।

4. आरक्षण का दावा करने संबंधित विशिष्ट दिशा–निर्देश निम्न प्रकार है:–

(i) आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात् जो बिहार के मूलवासी है। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं मूल निवास प्रमाण–पत्र **(महिला उम्मीद्वारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है)।**

(iii) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की स्थिति में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र **(अविवाहित/विवाहित महिला अभ्यर्थी के लिए अपने माता पिता के नाम एवं स्थायी पता से निर्गत प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र)** एवं क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

(iv) पिछड़ा वर्ग/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमीलेयर के अन्तर्गत नहीं होने संबधी घोषणा–पत्र (विगत 1 वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर) का होना अनिवार्य है।

(v) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित संबंधित जिलाधिकारी/राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र होना अनिवार्य है।

(vi) अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राजस्व पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण–पत्र अनिवार्य होगा, अन्यथा आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(vii) दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले दिव्यांग अभ्यर्थी के पास सक्षम प्राधिकार/Medical Board द्वारा निःशक्तता संबंधी प्रमाण–पत्र (अनिवार्य होगा)।

(viii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा मनोनित पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण–पत्र (अनिवार्य होगा)।

5. उक्त पद हेतु सभी कोटि के अभ्यर्थियों का आयु, कार्यानुभव एवं शैक्षणिक योग्यता आदि के लिए **Cut-off date 01.01.2021** होगी।

6. अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि Document Verification/Counselling से संबंधित अद्यतन जानकारी समिति के अधिकृत वेबसाईट–**shs.bihar.gov.in** पर प्राप्त कर सकते हैं। उक्त वेबसाईट निरन्तर देखना अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी है। Shortlisted अभ्यर्थियों को इसकी सूचना SMS/E-mail के माध्यम से दी गयी है। यदि किसी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो उसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना जिम्मेदार नहीं होगी।

11/1/23

(राजेश कुमार)
उप सचिव–सह–
प्रभारी, मानव संसाधन

कोई भी व्यक्ति चाहे वह सरकारी अथवा गैर-सरकारी वाह्य व्यक्ति हो, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार कार्यालय को सूचित करें। ऐसे किसी तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।